न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सिरोही

पीठासीन अधिकारी : रूपा गुप्ता (DJ Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या : 69/2020 (C.I.S No. 69/2020)

राजस्थान राज्य **——अभियोगी**

विरुद्ध

श्रवणकुमार पुत्र जयन्तिलाल उम्र 22 वर्ष निवासी सनवाडा आर. पुलिस थाना रोहिडा जिला सिरोही (राज0)

——अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 342, 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं
धारा 67क सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम, 2000
प्राथमिकी संख्या 04/2020 महिला पुलिस थाना सिरोही

उपस्थितिः—
1. श्री लक्ष्मणसिंह बाला लोक अभियोजक राज्य की ओर से
2. श्री नरपतसिंह देवडा, अधिवक्ता अभियुक्त

निर्णय

दिनांक : 28.03.2026

01. महिला पुलिस थाना सिरोही की प्रथम सूचना रिपोर्ट 04/2020 अपराध अंतर्गत धारा 342, 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं धारा 67क आई.टी.एक्ट के आधार पर थानाधिकारी महिला पुलिस थाना सिरोही द्वारा अभियुक्त श्रवणकुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 342, 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं धारा 67क आई.टी.एक्ट के तहत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही के समक्ष दिनांक 21.08.2020 को प्रस्तुत किया गया। मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से इस न्यायालय को उपार्पित किया गया जो इस न्यायालय में विचारण हेतु दिनांक 05.09.2020 को प्राप्त हुआ।

02. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2020 को समय 10.16 पी.एम. पर परिवादी मदनलाल ने पुलिस अधीक्षक, सिरोही के समक्ष उपस्थित होकर एक टंकित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 इस आशय की पेश की कि उसकी पुत्री रिंकू चन्द्रावल कोलेज में वर्ष 2018 में बी.एड. कर रही थी तब उसकी सहेली के साथ श्रवणकुमार मिला था, श्रवणकुमार ने धीरे धीरे रिंकू से जान पहचान बनाई और उसके बाद उसकी पुत्री एम. ए. की परीक्षा देने सिरोही आई तब उसकी सहेलियों के मिलने के बहाने श्रवणकुमार रिंकू को सिरोही में होटल कल्पतरु पैलेस में ले गया और कोल्डड्रीक्स में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और वह बेहोश हो गई और श्रवण ने उसके नग्न फोटों खींचे और उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया और रिंकू को फोटों के जरिए धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो फोटो वायरल कर बर्बाद व बदनाम कर देगा जिससे रिंकू पूरी

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

तरह डर गई। उसके तीन माह बाद श्रवण सुमेरपुर आया और उसे शिवशक्ति होटल लेकर गया तथा वहाँ पर भी डरा धमकाकर बलात्कार किया व उसे लगातार मोबाईल पर धमकाता रहा। दिनांक 09.12.2019 को श्रवण फिर सुमेरपुर आया, रिंकू ने उसके फोटो डिलिट करने का कहा तो वह उसे शिवशक्ति होटल सुमेरपुर लेकर गया और वहाँ उसके साथ जबरन बलात्कार किया व कहा कि तीन दिन बाद सिरोही बुलाऊँ तो सिरोही आ जाना। दिनांक 11.12.2019 को श्रवणकुमार कार लेकर शिवगंज आया और उसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा तो उसने मना कर दिया तो श्रवण ने विडियो वायरल करने की धमकी देकर हस्ताक्षर करवाये। उसके बाद रिंकू की सगाई फालना तय हो गई तो वहाँ पर भी रिंकू के फोटो भेजकर सगाई तुडवा दी। सगाई तोडने के बाद उसकी पत्नी ने रिंकू को पूछा तो सारी बात बताई, इत्यादि।

03. न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त श्रवण कुमार को धारा 342, 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं धारा 67क सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई –

Prosecution Witness		
S.N.	**Name**	**Nature of Evidence**
पी.ड.1	रिंकुकुमारी	पीडिता
पी.ड.2	मदनलाल	परिवादी व पीडिता के पिता
पी.ड.3	अंकितकुमार	होटल कल्पतरू मैनेजर
पी.ड.4	ओमप्रकाश	होटल शिवशक्ति मैनेजर
पी.ड.5	मंजुदेवी	पीडिता की माता
पी.ड.6	रामेश्वरी	सेम्पल एफएसएल में जमा करवाना
पी.ड.7	प्रदीप शर्मा	एस.पी.ऑफिस से अग्रेषण पत्र बनाना
पी.ड.8	राजकुमार मीणा	सेम्पल एफएसएल में जमा करवाना
पी.ड.9	डुंगाराम	मौतबीर साक्षी
पी.ड.10	तरूण चौहान	मौतबीर फर्द विश्लेषण मोबाइल कांतिलाल व धारा 65बी.ई.वी. एक्ट का प्रमाण पत्र
पी.ड.11	दीक्षा चौहान	अनुसंधान अधिकारी

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

पी.ड.12	कांतिलाल	पीडिता के मंगेतर का पिता
पी.ड.13	हंसाराम	मालखाना प्रभारी
पी.ड.14	डॉ0 राशि अग्रवाल	चिकित्साधिकारी
पी.ड.15	लक्ष्मणकुमार	पीडिता का मामा

05. अभियोजन पक्ष ने प्रलेखीय साक्ष्य स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये –

कम सं.	**प्रदर्श कमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.2	फर्द नक्शा मौका होटल कल्पतरू
3.	प्रदर्श पी.3	फर्द नक्शा मौका होटल शिवशक्ति
4.	प्रदर्श पी.4	पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी.5 व 6	फर्द जब्ती पीडिता के पारचात व मोबाइल
6.	प्रदर्श पी.7	पीडिता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान
7.	प्रदर्श पी. 8	होटल रजिस्टर की प्रति
8.	प्रदर्श पी.9	फर्द मौका तस्दीक
9.	प्रदर्श पी.9	यात्री विवरण रजिस्टर
10.	प्रदर्श पी.10	फर्द मौका तस्दीक
11.	प्रदर्श पी.11, 14	महिला पुलिस थाना सिरोही का अग्रेषण पत्र
12.	प्रदर्श पी. 12, 15	पुलिस अधीक्षक, सिरोही का अग्रेषण पत्र
13.	प्रदर्श पी.13, 16	एफएसएल प्राप्ति रसीद
14.	प्रदर्श पी.17	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
15.	प्रदर्श पी.18	फर्द विश्लेषण मोबाइल पीडिता
16.	प्रदर्श पी.19, 21	फर्द जब्ती मोबाइल अभियुक्त व फर्द जब्ती पारचात
17.	प्रदर्श पी.20	फर्द विश्लेषण मोबाइल अभियुक्त
18.	प्रदर्श पी.22 व 23	अभियुक्त व पीडिता के मोबाइल से लिए फोटो की सीडी
19.	प्रदर्श पी. 24 व 25	पीडिता व अभियुक्त के फोटोग्राफस् की फोटो प्रति
20.	प्रदर्श पी 26	धारा 65बी ई.वी.एक्ट का प्रमाण पत्र
21.	प्रदर्श पी.27	फर्द विश्लेषण मोबाइल कांतिलाल
22.	प्रदर्श पी.28	पीडिता के धारा 161 के बयानों की सीडी

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

23.	प्रदर्श पी.29	अभियुक्त व पीडिता के फोटो का लिफाफा
24.	प्रदर्श पी. 30 से 32	अभियुक्त की मेडिकल रिपोर्ट
25.	प्रदर्श पी.33	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
26.	प्रदर्श पी 34	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
27.	प्रदर्श पी 35	डीवीडी
28.	प्रदर्श पी 36	धारा 65बी ई.वी.एक्ट का प्रमाण पत्र
29.	प्रदर्श पी. 37 से 39	एफएसएल रिपोर्ट
30.	प्रदर्श पी 40	महिला पुलिस थाना सिरोही का पत्र
31.	प्रदर्श पी 41, 42	रोजनामचा रपट की प्रति
32.	प्रदर्श पी 43	चाक एफआईआर
33.	प्रदर्श पी 44	पीडिता के 164 के बयान करवाने हेतु सम्मन जारी करने बाबत् पत्र
34.	प्रदर्श पी 45, 46	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही की आदेशिका व सम्मन
35.	प्रदर्श पी 47, 48	पीडिता की जांच पर्ची व रोग पर्ची
36.	प्रदर्श पी 49	जामा तलाशी माल सुपुर्दगी रसीद
37	प्रदर्श पी 50	फर्द नमूना सील

06. तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने अपने स्पष्टीकरण में साक्ष्य अभियोजन पक्ष को गलत होना व स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना बताया। बचाव में स्वयं अभियुक्त डी.डब्लयु.1 श्रवणकुमार के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये –

क्रम सं.	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श डी.1ए	विवाह शपथ पत्र दिनांक 14.06.2022
2.	प्रदर्श पी.2ए	विवाह शपथ पत्र दिनांक 14.06.2022

07. मैंने बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी एवं पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

09. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया हैं। उनका तर्क है कि पीडिता बालिग होकर सहमत पक्षकार थी तथा पीडिता, उसके पिताजी व माता के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। उनका तर्क हैं कि पीडिता अभियुक्त से प्रेम करती थी तथा उसके साथ शादी करना चाहती थी, पीडिता के माता–पिता उसकी दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, जिस पर पीडिता ने ही अभियुक्त के साथ उसके खींचे हुए फोटो को अपने ससुराल में भेजा तथा उसकी सगाई को तुडवाया। पीडिता की सगाई टुटने व अभियुक्त के गिरफ्तार होने के बाद पीडिता के पिता व अभियुक्त के पिता के मध्य सामाजिक पंचायती हुई, जिसमे इकरारनामा भी मूर्तिब किया गया, किन्तु पीडिता के पिता ने पीडिता की अन्यत्र शादी कर दी, जिस पर पीडिता ने अभियुक्त के साथ कोर्ट में जाकर विवाह शपथ पत्र तैयार करवाये तथा पीडिता अभियुक्त के साथ बतौर पत्नी निवास करने लगी। पीडिता द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक देरीना दर्ज करवाई है तथा उसका कोई उचित कारण भी नहीं बताया है। चिकित्सकीय साक्ष्य अनुसार भी पीडिता के साथ किसी प्रकार का जबरदस्ती बलात्कार किया जाना साबित नहीं हुआ है। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार के पीडिता के फोटो वायरल नहीं किये गये है। स्वयं पीडिता ने अपने फोटो वायरल किये है तथा पीडिता के मोबाइल से ही फोटो मिले है, किन्तु पीडिता का धारा 65बी का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली पर नहीं है। स्वयं पीडिता के ससुर ने अभियुक्त श्रवणकुमार को नहीं जानना तथा उसके मोबाइल नम्बर भी पता नहीं होने का स्पष्ट कथन किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

10. हमने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य व सामग्री का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया।

11. प्रकरण में विचारण हेतु निम्न अवधार्य प्रश्न व्युत्पन्न होते है :–

01. क्या अभियुक्त श्रवणकुमार ने माह फरवरी, 2019 में किसी समय सरहद मौजा सिरोही में स्थित होटल कल्पतरू व सुमेरपुर में स्थित होटल शिवशक्ति में पीडिता को स्वेच्छयापूर्वक जबरन रोककर उसका सदोष अवरोध किया। इस प्रकार अभियुक्त ने अपराध अंतर्गत धारा **342 भा.दं.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

02. क्या अभियुक्त श्रवणकुमार ने माह फरवरी, 2019 में किसी समय सरहद मौजा सिरोही में होटल कल्पतरू पैलेस में पीडिता को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना संभोग कर बलात्कार किया और उसके पश्चात् पीडिता को फोटो वायरल करने की धमकी देकर दिनांक 09.12.2019 को मौजा सुमेरपुर स्थित शिवशक्ति होटल में उसके साथ उसकी सहमति के बिना जबरन बारम्बार संभोग कर बलात्संग किया ?

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

03. क्या अभियुक्त श्रवणकुमार ने उक्त दिनांक, समय व स्थान होटल कल्पतरू पैलेस में पीडिता को कोल्डड्रिंक में (नशीला पदार्थ) पिलाकर उसके बेहोश होने पर पीडिता की सहमति के बिना जानबूझकर अपने मोबाइल से उसके अश्लील फोटो/प्राईवेट क्षेत्र की ईमेज खींचकर वायरल करने की धमकी देकर गोपनीयता का उल्लंघन किया ?

12. उक्त तीनों विचारणीय बिन्दुओं में साक्ष्य की एकरूपता होने के कारण इनका एक साथ निस्तारण किया जाना उचित है।

13. इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.1 पीडिता रिंकु कुमारी हैं, जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि वह वर्ष 2018 में आबूरोड चंद्रावल कॉलेज में बीएड कर रही थी, वह आबूरोड में कुम्हारवाडे में सहेलियों के साथ रहती थी जिसका नाम लकीसिंह था और दो और सहेलिया थी, जिनमे एक पूजा व दूसरी सोनु थी। वहां लकीसिंह के पति के साथ आप उनके रूम पर आते रहते थे। उसके बाद उसके वर्ष 2019 में फरवरी महीने में एमए की परीक्षा पीजी कॉलेज सिरोही में थी। तब वह उसकी सहेली लकी और पूजा के साथ सिरोही आई थी। उसकी एग्जाम खत्म होते ही अभियुक्त श्रवणकुमार उसे कलपतरू होटल में लेकर गया और कहा कि उसकी दोनों सहेलियां भी यहीं आ रही है, यहां पार्टी करेंगे। कलपतरू होटल में श्रवणकुमार ने उसे कोल्डड्रिंक पिलाई जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसके साथ गलत काम किया और उसके गंदे-गंदे अश्लील फोटो लिए। फिर उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ गलत काम हुआ है। तब उसे श्रवणकुमार डराने लगा कि अगर उसके साथ नहीं आयी तो उसने जो उसके फोटो लिए है, वह वायरल कर देगा, फिर वह वहां से घर चली गई। फिर उसके तीन-चार महीने बाद शिवशक्ति होटल सुमेरपुर में बुलाया और उसे कहा कि यहां आ जाओ जो फोटो वगैरह जो लिए है, वह डिलीट कर दूंगा। तो भी श्रवणकुमार ने फोटो डिलीट नहीं किये, वहां पर भी उसके साथ गलत काम किया फिर वह घर गई। उसके दो दिन बाद उसे शिवगंज बस स्टॉप पर श्रवणकुमार ने बुलाया एवं उसे कार में बिठाकर हाइवे पर लेकर गया और उसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने को बोला। उसने उसे बोला कि वह बाद में साईन कर देगी जो भी है, वह इस पर लिख दो, उसके बाद साईन कर दूंगी। उसके बाद जैसे तैसे वह वापिस अपने घर गई। फिर उसकी सगाई फालना में हुई थी, वहां पर श्रवण ने उसके अश्लील फोटो भेजे। उसके फोटो उसके ससुराल से उसके पापा के पास आए, फिर उसके पापा को इस बात का पता चला। इसी बात को लेकर उसकी सगाई भी फालना से टूट गई, फिर पापा को सब बात पता चली। फिर उसने जो पापा को बोला था, वो पापा ने टाईप करवाया, फिर शिवगंज पुलिस थाने में गए थे। वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई उसके बाद सिरोही एसपी को रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 दी थी। पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद सबसे पहले

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

कलपतरू होटल सिरोही का मौका देखा था, नक्शा मौका कलपतरू होटल प्रदर्श पी.2 है। दूसरे दिन शिवशक्ति होटल सुमेरपुर में घटना का मौका प्रदर्श पी.3 देखा था, पुलिस को मौका उसने बताया था। तीसरे दिन पुलिस ने उनको सिरोही बुलाया था, जहां पुलिस ने उसका मेडिकल प्रदर्श पी.4 करवाया था। उसके बाद पुलिस ने उसकी अंडरवियर जब्त की थी। उस समय उसके अलावा उसके पापा उसके साथ थे, अंडरवियर लाल रंग की थी और उसमें धब्बे थे, जिसे सफेद पॉलिथीन में पैक कर सीलचेपा किया। फर्द जब्ती अंडरवियर प्रदर्श पी.5 है। उसी समय उसका फोन वीवो कम्पनी का भी पुलिस ने लिया था। फर्द जब्ती मोबाईल वीवो कंपनी द्वारा पीडिता प्रदर्श पी.6 है। उसके बाद पुलिस वालों ने मजिस्ट्रेट के सामने उसके धारा 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी.7 करवाए थे जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने 164 सीआरपीसी के बयान पढकर कहा कि ये हीं बयान उसने मजिस्ट्रेट को दिए थे।

14. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उसकी साक्ष्य है कि यह सही है कि वह और श्रवणकुमार एक ही जाति के है एवं हम उम्र है। यह सही है कि आबूरोड में रहने के दौरान उसके व श्रवण के आपस में बातचीत होती थी और वे मिलते रहते थे, वह उस समय मोबाइल रखती थी एवं उनकी मोबाइल पर बात भी होती थी। फरवरी, 2019 की परीक्षा की तिथी उसने ही श्रवण को फोन पर बताई थी, एग्जाम खत्म होने के बाद श्रवण पहली बार सिरोही कॉलेज के बाहर मिला था, यह सही है कि उस दिन उसने लकीसिंह, पूजा व सोनू को फोन नहीं किया तथा वे कॉलेज से कल्पतरू होटल तक पैदल पैदल आए थे, होटल के काउण्टर पर तीन–चार आदमी बैठे थे। होटल कल्पतरू में 11.00 बजे के बाद पहुंचे थे और करीब डेढ घण्टे रूके थे। श्रवण ने उसे कहा था कि उसका बर्थडे है तथा उसकी पार्टी वह होटल में ही देगा, आप यहां बैठो। यह सही है कि उस दिन उसने होटल से निकलते वक्त रिसेप्शन में मौजूद किसी व्यक्ति को गलत काम की शिकायत नहीं की थी। होटल से वह बस स्टेण्ड गई और फिर वहां से घर गई। विडियो और फोटो उसके और श्रवणकुमार दोनों के साथ के थे। यह सही है कि उसके होटल से निकलने के बाद होटल में हुई घटना उसकी दोस्त पूजा और लकीसिंह को नहीं बताई। यह सही है कि कल्पतरू होटल की फरवरी, 2019 की घटना के बाद में भी श्रवण व उसके बीच मोबाइल पर बात होती रहती थी तथा वह और श्रवणकुमार शिवशक्ति होटल में 3–4 बार गये होंगे। यह सही है कि वह शिवशक्ति होटल हर बार घर से अकेली गयी। वे शिवगंज में रहते है, उसके घर से शिवशक्ति होटल तीन किलोमीटर दूर है। यह सही है कि उसने शिवशक्ति होटल सुमेरपुर वालों को भी उसके साथ गलत काम होने की शिकायत कभी नहीं की। वह जो अश्लील विडियो व फोटो श्रवण के मोबाइल में बता रही है वह उसके मोबाइल में भी थे।

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

उसका विवाह महेन्द्रजी माली निवासी सिरोही के साथ हुआ है। यह सही है कि फालना वालों को अगर फोटो और विडियो नहीं मिले होते तो मुकदमा नहीं करती। उसे शिवगंज से हाइवे पर जिस कार में श्रवण लेकर गया था, उस कार के नंबर उसे पता नहीं है, कार में बैठकर शिवगंज से सिरोही की तरफ आए थे। यह सही है कि उस दिन श्रवण ने उसके साथ मारपीट नहीं की। फालना वालों को जो अश्लील फोटो व विडियो मिले उसके संबंध में उसकी फालना वालों से किसी से बात नहीं हुई। उसने उसके अश्लील फोटो श्रवण के और उसके मोबाइल के अलावा किसी अन्य के मोबाइल में नहीं देखे। यह सही है कि श्रवण भी उस समय अविवाहित था। पुलिस को जो कपडे दिए वह उसने धोये थे।

15. पी.ड. 2 मदनलाल पीडिता के पिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी लड़की का नाम "रि" वर्ष 2018 में चंद्रावती कॉलेज आबूरोड़ से बी.एड़ कर रही थी उस समय "रि" कॉलेज के पास ही कुम्हारवाड़ा में किराये के कमरे में रहती थी जहां दो तीन उसकी सहेलियां उसके साथ में रहती थी। जहां उसके साथ एक लक्की सिंह करके लड़की रहती थी। जहां लक्की सिंह के कोई लड़का दोस्त था। उस लड़के साथ कमरे पर श्रवणकुमार भी आता था, वहां पर आने जाने से इन सबके दोस्ती हुई। फरवरी 2019 में "रि" एम.ए की परीक्षा देने के लिये सिरोही कॉलेज आई, जहां परीक्षा देकर "रि" बाहर आई तब श्रवणकुमार ने फोन किया कि उसकी सहेली लक्कीसिंह व पुजा आ रही हैं तो उनको मिलने जाना हैं वह भी चले। श्रवणकुमार सिरोही में बस स्टेण्ड़ के पास कल्पतरू करके होटल हैं वहां "रि" को लेकर गया, जहां "रि" को बिठाया और कहा कि 10 मिनट बैठ वो आ रही हैं तथा श्रवणकुमार होटल से बाहर गए तथा बाहर से पीने के लिये ठण्ड़ा लेकर आया "रि" द्वारा ठण्ड़ा पीने पर उसे चक्कर वगैरा आने लगे तब कमरे में उसे सुला दी उस समय "रि" बेसुध हो गई थी फिर उसे होश आया तब उसने देखा कि वह नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। फिर श्रवण ने "रि" को दबाव दिया कि उसकी फोटो वगैरा लिये हैं वह किसी को ये बात बताना नहीं। फिर उसके बाद "रि" घर आ गई थी फिर दुसरे दिन आबूरोड़ चली गई थी। फिर "रि" वापस शिवगंज आने पर श्रवणकुमार ने फोन किया और सुमेरपुर मिलने के लिये शिवशक्ति होटल सुमेरपुर में बुलाया जहां भी "रि" के साथ श्रवणकुमार ने गलत काम किया इसी प्रकार चार–पांच बार "रि" को बुलाकर उसके साथ गलत काम किया। "रि" थोड़ी डरी हुई लग रही थी फिर उन्होंने इस दरमियान "रि" की सगाई फालना गांव में की थी। इस बात की जानकारी श्रवणकुमार को मिलने पर श्रवणकुमार ने "रि" को गाड़ी में बिठाकर ले जाकर कागजों पर हस्ताक्षर लिये और धमकी भी दी कि उसकी सगाई की वहां वह गई तो उसके फोटो वायरल कर देगा। जनवरी 2020 में "रि" के ससुर कांतिलाल का फोन आया कि उनकी लड़की को सम्भालो उनको सगाई नहीं रखनी, उसने उसके ससुर को पुछा कि क्या

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

कारण हैं तब उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को ही पुछ लेना। फिर उसने उसकी लड़की को पुछा क्या हुआ तब वह दो तीन दिन रोती रही और बोली नहीं फिर उसकी मां ने धीरे धीरे पुछा तो उसने ये पुरी घटना बताई। फिर उन्होंने रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 एस.पी. सिरोही को दी। रिपोर्ट देने वह, उसकी लड़की और उसकी पत्नी गये थे।

16 जिरह में उसकी साक्ष्य है कि यह बात सही है कि 'आर' के साथ जो घटना हुई वह उसकी पुत्री के कहने पर ही बता रहा है, उसकी पुत्री के साथ गलत किस वार, तारीख, महिने में हुआ, वह नहीं बता सकता। उसकी पुत्री के साथ घटना की जानकारी उसे सबसे पहले 4 जनवरी, 2020 को उसके ससुर के फोने आने के दो–तीन दिन बाद हुई जो 4 तारीख के लगभग उसकी पुत्री ने बताया। यह सही है कि उसकी पुत्री के ससुरजी का फोन आने से पहले उसकी पुत्री ने उसे घटना की जानकारी कभी नहीं दी। उसे पता नहीं कि उसकी पुत्री व श्रवण आपस में प्रेम करते हो और चोरी चुपके मिलते व फोन पर बाते करते हो। अभियुक्त श्रवण उनकी जाति का ही है। उसे पता नहीं कि उसकी पुत्री का संबंध फालना में किया उस लडके को वह पसंद नहीं करती हो। उसकी पुत्री की सगाई फालना में दिसम्बर, 2019 में की थी। यह बात सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में उसकी पुत्री के ससुर कांतिलाल द्वारा फोन पर सगाई तोडने की बात लिखी हुई नहीं है। यह सही है कि उक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद श्रवण की गिरफ्तारी होने के बाद दिनांक 18.01.2020 को मुलजिम के माता–पिता व उसके बीच में इस मुकदमे में राजीनामा होने का आपसी इकरारनामा लिखा गया था, असल इकरारनामा उसके पास है फिर कहा समाज वालों के पास है। पुलिस को उसकी पुत्री ने जो मोबाइल जब्त करवाया था वह उसकी पुत्री ही इस्तेमाल करती थी, यह सही है कि उसकी पुत्री का विवाह हो चुका है।

17. पीडिता की माता पी.डब्लयु.5 अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि उसके दो लड़के व एक लड़की हैं, लड़की का नाम "रि" हैं, आज से साढ़े चार साल पहले "रि" आबूरोड में पढ़ती थी तथा आबूरोड में कुम्हारवाडा में निवास करती थी जिसके साथ लक्की नाम की लड़की भी निवास करती थी। "रि" की सगाई फालना में कांतिलाल के वहां की हुई थी। साढ़े चार साल पहले कांतिलाल का फोन उसके पति के पास आया और बताया कि उसके उसकी लड़की का सम्बन्ध उसके लड़के से नहीं रखना हैं, तब उसके पति ने पूछा तो क्यों क्या बात हुई हैं तो उन्होंने कहा कि लड़की को ही पूछ लेना। तब उसने लड़की को पूछा कि क्या बात हुई तब लड़की ने बताया कि वह आबूरोड से सिरोही परीक्षा देने आई थी तब श्रवणकुमार ने उसे कहा था कि उसकी सहेलिया होटल में आ रही हैं वहां चलते हैं तब होटल में गये तब सहेलियां नहीं थी और श्रवणकुमार ने बोला कि आ रही हैं, इतने में श्रवणकुमार ने "रि" को ठण्डा पिलाया जिससे "रि" अचेत हुई इस दौरान श्रवणकुमार ने "रि"

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

के साथ गलत काम किया तथा "रि" के फोटो लिये और "रि" को बताया कि उसने किसी को बताया तो फोटो वायरल कर देगा। फिर "रि" को शिवगंज में भी होटल में बुलाया था। श्रवणकुमार "रि" को ब्लैकमैल करते थे इस वजह से "रि" की सगाई भी टुटी थी, इस बात की "रि" ने पुलिस में रिपोर्ट की थी। जबकि प्रतिपरीक्षा में उसकी साक्ष्य है कि यह सही है कि उसकी पुत्री आबूरोड में पढते समय उसके पास मोबाइल रखती थी। वह सिरोही होटल में उसकी पुत्री के साथ श्रवण द्वारा गलत काम करने की तारीख, वार, महिना, वर्ष नहीं बता सकती। उसके पति के मोबाइल पर उसकी पुत्री व श्रवण के फोटो आये थे लेकिन उन्होंने उसे नहीं बताये थे। उसकी पुत्री अभी वर्तमान में शादीशुदा है तथा एक लडका भी है। उसे उसकी पुत्री ने उसके साथ हुई घटना की जानकारी किस तारीख, माह, वर्ष में दी, वह नहीं बता सकती।

18. उक्त तीनों महत्वपूर्ण साक्षीगण का यदि सुक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किया जावें तो यह प्रकट होता है कि परिवादीया पीडिता व अभियुक्त एक ही जाति के बालिग होकर उस समय दोनों अविवाहित थे तथा उनकी फोन पर आपस में दोस्ती हुई, वे फोन पर एक दूसरे से बातचित करते थे तथा फरवरी, 2019 की परीक्षा की तिथी परिवादीया ने ही अभियुक्त श्रवण को फोन पर बताई थी, एग्जाम खत्म होने के बाद श्रवण सिरोही कॉलेज के बाहर परिवादीया को मिला, वे कॉलेज से होटल कल्पतरू तक पैदल पैदल गये, होटल में करीब डेढ घण्टे रूके थे तथा होटल से निकलते वक्त परिवादीया पीडिता ने रिसेप्शन में मौजूद किसी व्यक्ति को अभियुक्त द्वारा उसके साथ गलत काम करने की शिकायत नहीं की थी। परिवादीया पीडिता ने होटल से निकलने के बाद होटल में हुई घटना उसकी दोस्त पूजा, लकीसिंह को नहीं बताई, यहां तक की होटल कल्पतरू की घटना उसने अपनी माता व पिता को भी नहीं बताई तथा उसके बाद पुनः परिवादीया व पीडिता के बीच मोबाइल पर बात होती रही तथा परिवादीया पीडिता व अभियुक्त श्रवणकुमार दोनों होटल शिवशक्ति में 3–4 बार गये। यहां तक की परिवादीया पीडिता होटल शिवशक्ति पर हर बार घर से अकेली गयी। परिवादीया पीडिता ने होटल शिवशक्ति सुमेरपुर वालों को भी उसके साथ गलत काम होने की शिकायत कभी नहीं की। इसी प्रकार पीडिता के पिता ने भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त श्रवणकुमार उनकी जाति का है, उसकी पुत्री के साथ गलत किस वार, तारीख, महिने में हुआ, वह नहीं बता सकता। उसकी पुत्री के साथ घटना की जानकारी उसे सबसे पहले 4 जनवरी, 2020 को पीडिता के ससुर के फोन आने के दो–तीन दिन बाद हुई जो 4 तारीख के लगभग उसकी पुत्री ने बताया। पीडिता के ससुरजी का फोन आने से पहले उसकी पुत्री ने उसे घटना की जानकारी कभी नहीं दी। पीडिता के पिता ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया है कि उक्त मुकदमा दर्ज होने व अभियुक्त श्रवण

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

की गिरफ्तारी होने के बाद दिनांक 18.01.2020 को अभियुक्त के माता–पिता व उसके बीच में इस मुकदमे में राजीनामा होने का आपसी इकरारनामा लिखा गया था, असल इकरारनामा समाज वालों के पास है। इसी प्रकार परिवादीया पीडिता की माता ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि सिरोही होटल में उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त श्रवण द्वारा गलत काम करने की तारीख, वार, महिना, वर्ष वह नहीं बता सकती। उसके पति के मोबाइल पर उसकी पुत्री व श्रवण के फोटो आये थे लेकिन उन्होंने उसे नहीं बताये थे। उसकी पुत्री ने उसके साथ हुई घटना की जानकारी उसे किस तारीख, माह, वर्ष में दी, वह नहीं बता सकती। यहां तक की हस्तगत प्रकरण की पीडिता अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करती है कि फालना वालों को अगर फोटो और विडियो नहीं मिले होते, तो वह मुकदमा नहीं करती। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवादीया पीडिता ने अपने फोटो व विडियो उसके ससुराल में मिलने पर व उसके पिता व माता को फोटो का पता चलने पर यह मुकदमा किया।

19. इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण साक्षी होटल कल्पतरू का कर्मचारी पी.डब्लयु. 3 अंकितकुमार अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करता है कि वह अभियुक्त व परिवादीया को पहले से नहीं जानता था, यात्री विवरण रजिस्टर प्रदर्श पी.8 में पुरूष कॉलम में 210 नं. कमरा के आगे दो अंकित किया हुआ है लेकिन उसके नीचे एक प्लस एन अंकित किया हुआ है तथा दिनांक 07.02.2019 को वह पुरे दिन होटल पर ही था, दोनों राजीखुशी होटल में आये थे और राजीखुशी निकले थे। इसी प्रकार अन्य होटल शिवशक्ति का कर्मचारी पी. डब्लयु.4 ओमप्रकाश अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करता है कि लडका व लडकी दोनों उसकी होटल में राजीखुशी आये थे तथा राजीखुशी ही होटल से निकले थे। लडका व लडकी जब होटल में आये थे तथा जब होटल से गये तब रिसेप्शन पर वह ही बैठा था, उसकी होटल से उन्होंने कोई पेय पदार्थ नहीं खरीदा था। पीडिता ने रजिस्टर में इन्द्राज के समय जो आधार कार्ड उसे दिया था, पीडिता ने उसी समय उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि पीडिता तथा अभियुक्त श्रवणकुमार होटल कल्पतरू व होटल शिवशक्ति पर जब भी गये थे राजीखुशी गये थे तथा राजीखुशी होटल से बाहर आये थे तथा पीडिता ने होटल कल्पतरू व होटल शिवशक्ति पर किसी भी कर्मचारी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। इसके अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता साक्षी पी.डब्लयु.11 दीक्षा चौहान भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन करती है कि मुलजिम व पीडिता एक ही जाति के है तथा पीडिता की उम्र 24 वर्ष तथा मुलजिम की उम्र 22 वर्ष थी। पीडिता वर्ष 2018 में आबूरोड में पढाई कर रही थी तथा मोबाइल भी रखती थी, पीडिता व मुलजिम की मोबाइल पर बातचीत की कॉल डिटेल उसने नहीं निकलवायी थी। मुलजिम ने पीडिता को कौनसी कोल्डड्रींक पिलायी व कितनी मात्रा में पिलायी, उसके अनुसंधान में नहीं आया। पीडिता ने अपने साथ हुए गलत

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

काम के बारे में दोनों ही होटल के कर्मचारियों को नहीं बताया। पीडिता व मुलजिम की अण्डरवियर घटना के बाद कई बार धो दी गयी थी, उसके बाद पेश की गयी थी।

20. इसी प्रकार बचाव पक्ष के साक्षी स्वयं अभियुक्त डी.डब्लयु.1 ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करता है कि वह पीडिता को वर्ष 2018–19 से जानता है, उन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे व आपस में बातचीत करते व मिलते थे, पीडिता उससे प्यार करती थी, पीडिता की सगाई की बात संजयकुमार के साथ चल रही थी लेकिन पीडिता संजय को पसंद नहीं होने से सगाई पक्की नहीं हुई। पीडिता उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उसके साथ शादी करना चाहती थी इसीलिए उसने व पीडिता ने विवाह के शपथ पत्र प्रदर्श डी.1 व प्रदर्श डी.2 बनवाकर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाये थे। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसका कथन है कि पीडिता ने उसके विरूद्ध मुकदमा दिनांक 07.01.2020 को महिला पुलिस थाना सिरोही में दर्ज करवाया था तथा प्रदर्श डी.1 व प्रदर्श डी.2 जो शपथ पत्र आज पेश किए है वे दिनांक 14.06.2022 के है, जो उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज होने के दो साल पांच माह बाद के है। इस प्रकार प्रदर्श डी.1ए व प्रदर्श डी.2ए विवाह शपथ पत्र को देखने से स्पष्ट प्रकट होता है कि पीडिता व अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.06.2022 को आपसी सहमति से विवाह किया था तथा उक्त दोनों विवाह शपथ पत्र को नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक भी करवाया गया है, किन्तु विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त नोटेरी पब्लिक व विवाह शपथ पत्र के साक्षी भरतकुमार को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है तथा उक्त विवाह शपथ पत्र प्रदर्श डी.1ए व प्रदर्श डी.2ए के खण्डन में किसी प्रकार की कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गयी है। इस संबंध में पीडिता के पिता पी.डब्लयु.2 ने अपनी साक्ष्य में इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया है कि उक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद व अभियुक्त श्रवण की गिरफ्तारी होने के बाद दिनांक 18.01.2020 को मुलजिम के माता–पिता व उसके बीच में इस मुकदमें में राजीनामा होने का आपसी इकरारनामा लिखा गया था, जो इकरारनामा समाज वालों के पास है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमा दर्ज करने व अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हुआ था।

21. जहां तक पीडिता की चिकित्सकीय साक्ष्य का प्रश्न है, तो इस संबंध में चिकित्साधिकारी पी.डब्लयु.14डॉ0 राशि अग्रवाल अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करती है कि दिनांक 11.01.2020 को वह सार्वजनिक चिकित्सालय, सिरोही में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत होकर महिला पुलिस थाना सिरोही की तहरीर पर परिवादीया पीडिता का बलात्कार बाबत् शारीरिक परीक्षण उसकी अनुमति प्राप्त कर किया था। पीडिता की कद काठी सामान्य थी, उसका ब्रेस्ट पूर्णतया विकसित था, पीडिता ने शारीरिक परीक्षण के समय

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने के वक्त के समय के कपडे बदले हुए थे, पीडिता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, उसके लिबिया माईनेरा व मेजोरा पर चोटें नहीं थी, उसका हाईमन डिफलोरेटेड था, उसके वजाइना बाहरी तौर पर खुली हुई थी, पीडिता के आंतरिक जननांगो का परीक्षण दौराने जांच उसके द्वारा नहीं किया गया था। पीडिता के छाती और जननांगो पर बाहरी तौर पर कोई चोटें कारित की हुई नहीं पायी गयी। यदि कोई महिला किसी पुरूष के साथ स्वैच्छा एवं सहमति से एक ग्रुप वाले व्यक्ति के साथ संबंध बनावे तो एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी.37 व 38 में अंकित ब्लड ग्रुप एक ही होना आ सकता है तथा प्रदर्श पी.38 में ब्लड ग्रुप में अंतिम निष्कर्ष इंकन्क्लुजीव लिखा हुआ है। सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य से कहीं भी ऐसा दर्शित नहीं हुआ है कि अभियुक्त श्रवणकुमार द्वारा पीडिता को स्वेच्छयापूर्वक जबरन रोककर उसका सदोष अवरोध कर उसकी इच्छा एवं सहमति के विपरीत जाकर एक से अधिक बारम्बार शारीरिक संबंध बनाये गये हो। ऐसी स्थिति में पीडिता की साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसमंद नहीं होना तथा उसका सहमत पक्षकार होना प्रकट होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त श्रवणकुमार पर अपराध अंतर्गत धारा 342, 376(2)(एन) भा0दं0सं0 के आरोपों को विश्वसनीय रूप से साबित माना जाना विधिसम्मत नहीं है।

22. जहां तक अभियुक्त श्रवणकुमार द्वारा होटल कल्पतरू पैलेस में पीडिता को कोल्डड्रिंक में (नशीला पदार्थ) पिलाकर उसके बेहोश होने पर पीडिता की सहमति के बिना जानबूझकर अपने मोबाइल से उसके अश्लील फोटो/प्राईवेट क्षेत्र की ईमेज खींचकर वायरल करने की धमकी देकर गोपनीयता का उल्लंघन किये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में पी. डब्लयु.12 कांतिलाल महत्वपूर्ण साक्षी है, जो कि पीडिता की सगाई फालना में संजय से की थी उसका पिता व पीडिता का ससुर है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसके लडके की सगाई वर्ष 2020 में इस मुकदमे से पूर्व दिवाली के बाद पीडिता के साथ तय की थी, इस मुकदमे से डेढ माह पहले उसके पास श्रवणकुमार नाम के लडके का फोन आया था, उसने कहा कि आपके लडके की 'आर' के साथ सगाई की है, वह 'आर' से प्रेम करता है, जिसकी उसके पास कुछ फोटो है, जो आपको भेज रहा हूॅ, उसने उसके मोबाइल नंबर पर वह फोटो भेजे और कहा कि आप फोटो देखकर ही शादी करना, फिर उसने फोटो अपने वाट्सऐप पर देखे, तो लडके व लडकी के नंगे व अश्लील फोटो थे। जबकि प्रतिपरीक्षा में उसकी साक्ष्य है कि वह श्रवणकुमार से आज दिनांक तक नहीं मिला है, श्रवणकुमार के पिताजी का क्या नाम है तथा वह किस गांव से है उसे नहीं पता, श्रवणकुमार के मोबाइल नंबर व वाट्सऐप नंबर उसे पता नहीं। उसे फोटो किस तारीख व किस माह में किस नंबर से भेजे थे, उसे नहीं पता। उसने पुलिस बयान में नग्न फोटो देखकर हटा दिये थे ऐसा बताया है। उक्त फोटो में लडका कौन है उसे नहीं पता। उसने पुलिस को मोबाइल दिया था

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

उससे पहले उसने उक्त फोटोज हटा दिये थे। उसके पास वाट्सऐप पर फोटो आये उसके दो–तीन दिन बाद हटाये थे। इस संबंध में इस प्रकरण की महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि कल्पतरू होटल में श्रवणकुमार ने उसे कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गयी, बेहोश होने के बाद उसके गंदे–गंदे अश्लील फोटो लिए तथा श्रवणकुमार उसे डराने लगा कि अगर तू उसके साथ नहीं आयी तो उसके फोटो वायरल कर देगा, फिर वह घर चली गयी, उसके 3–4 महिने बाद शिवशक्ति होटल सुमेरपुर में उसे बुलाया और उसे कहा कि यहां आ जाओ वह फोटो डिलीट कर देगा, तो भी उसने फोटो डिलीट नहीं किये। फिर उसकी सगाई फालना में हुई थी वहां पर श्रवण ने उसके अश्लील फोटो भेजे, यह फोटो उसके ससुराल से उसके पापा के पास आए थे, इसी बात को लेकर उसकी सगाई फालना से टूट गयी थी। जबकि पीडिता अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करती है कि होटल कल्पतरू में श्रवण ने उसके व श्रवण के अश्लील फोटो बताये थे, उसे याद नहीं कि उसके कितने विडियो श्रवण के मोबाइल में थे तथा कितने एमबी के थे कुल कितने फोटो थे, विडियो और फोटो उसके व श्रवणकुमार दोनों के साथ के थे। जो अश्लील विडियो व फोटो श्रवण के मोबाइल में बता रही है वह उसके मोबाइल में भी थे। फालना वालों को अगर फोटो और विडियो नहीं मिले होते, तो मुकदमा नहीं करती। फालना वालों को अश्लील फोटो व विडियो मिले उसके संबंध में उसकी फालना वालों से किसी से बात नहीं हुई। उसने उसके अश्लील फोटो श्रवण के और उसके मोबाइल के अलावा किसी अन्य के मोबाइल में नहीं देखे। इसी प्रकार पीडिता का पिता पी.डब्लयु.2 अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि उसकी पुत्री की सगाई फालना में दिसम्बर, 2019 में की थी, तारीख याद नहीं है। जनवरी, 2020 में उसकी पुत्री के ससुर का फोन आया कि आपकी लडकी को सम्भालो हमारे सगाई नहीं रखनी, उसने कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को ही पुछ लेना, फिर उसने उसकी लडकी को पुछा क्या हुआ तब वह दो तीन दिन रोती रही और बोली नहीं फिर उसकी मां ने धीरे–धीरे पुछा तो उसने पुरी घटना बताई। उसकी पुत्री के ससुरजी का फोन आने से पहले उसकी पुत्री ने उसे घटना की जानकारी कभी नहीं दी। इस संबंध में अनुसंधानकर्ता साक्षी पी.डब्लयु.11 की साक्ष्य है कि पीडिता के पिताजी के मोबाइल में कोई भी अश्लील फोटो नहीं मिले थे, प्रदर्श पी.24 व 25 दो निर्वस्त्र फोटो मुलजिम तथा पीडिता के मोबाइल में थे जो एक ही फोटो थे तथा प्रदर्श पी.24 व 25 फोटो पीडिता ने पेश किए थे, उसने पीडिता से धारा 65बी का कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया था। प्रदर्श पी.24 व 25 फोटो किस समय व किस दिन व किस मोबाइल से खींचे गये थे वह नहीं बता सकती। मुलजिम के मोबाइल नम्बर की सीम किसके नाम से जारी हुई थी उसके संबंध में उसने तहरीर जारी की थी, उक्त तहरीर व उससे संबंधित कम्पनी द्वारा प्रेषित दस्तावेजात पत्रावली पर मौजूद नहीं है। कांतिलाल के मोबाइल से प्राप्त चार फोटो में से दो वही फोटो थे जो पीडिता ने

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

उसे पेश किए थे। मुलजिम के मोबाइल से मिले साथ साथ के 58 फोटो अलग अलग जगह के व अलग अलग कपडों में थे। कांतिलाल के मोबाइल से जो चार फोटो मिले थे वह किस नम्बर से भेजे गये उसका अंकन फर्द विश्लेषण मोबाइल प्रदर्श पी.27 में नहीं है। उक्त चारों फोटो किस तारीख, माह व समय भेजे वो आज उसे याद नहीं है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करती है कि उसने मुलजिम व पीडिता के मोबाइल से प्रदर्श पी.24 व 25 फोटो लिए थे, किन्तु पीडिता का धारा 65बी का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली पर नहीं है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त श्रवणकुमार द्वारा पीडिता के ससुर कांतिलाल के मोबाइल पर पीडिता के अश्लील फोटो वायरल करना बताया गया है, किन्तु पीडिता के ससुर कांतिलाल का मोबाइल जब्त नहीं किया गया है। जबकि कांतिलाल ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि उसने पुलिस को मोबाइल दिया था उससे पहले उसने उक्त फोटोज हटा दिये थे। कांतिलाल के मोबाइल का कोई तकनीकी परीक्षण भी नहीं करवाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त श्रवणकुमार द्वारा होटल कल्पतरू पैलेस में पीडिता की सहमति के बिना जानबूझकर अपने मोबाइल से उसके अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर गोपनीयता का उल्लंघन किया जाना युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं है।

23. हस्तगत प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण स्थिति है कि घटना फरवरी, 2019 तथा दिनांक 09.12.2019 की है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07.01.2020 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की गयी है। परिवादीया पीडिता द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट इतनी देरीना पेश करने बाबत् अभियोजन पक्ष की ओर से किसी प्रकार की कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। इससे भी अभियोजन का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। ,

24. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त श्रवणकुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 342, 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता एवं धारा 67क सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा हैं और अभियुक्त उक्त अपराध में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित हैं।

:: आदेश ::

25. परिणामतः **अभियुक्त श्रवणकुमार पुत्र जयन्तिलाल निवासी सनवाडा आर. पुलिस थाना रोहिडा जिला सिरोही (राज0)** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 342, 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता एवं धारा 67क सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

आरोपों से **संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।** अभियुक्त जमानत पर है, इसलिए उसके न्यायालय में नियमित हाजरी बाबत् लिये गये जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है। **प्रकरण में जब्तशुदा सामान/मोबाईल/पारचात् इत्यादि सामान को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।**

(रूपा गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

26. यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(रूपा गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
30.03.2026 14:41
Steno Gr. I
(Authenticated Document)